अपना घर पाने का सुनहरा अवसर

गुलमोहर कॉम्पलेक्स

'गुलमोहर कॉम्पलेक्स', योजना क्रमांक 136, निरंजनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत LIG (1 BHK) फ्लेट पाने का.

अब तक 181 परिवारों को मिला लाभ, अब आप भी बनें उन परिवारों का हिस्सा.

- **फ्री होल्ड पर व्ययन**
- **ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर के पास**
- **क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ**
- **181 लाभांवित परिवारों का साथ**

Carpet area : 36.87 sq.mt | Built up area : 45.68 sq.mt. | Super Built up area : 61.57 sq.mt.

सुविधाएं

- प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज में छूट
- फ्लेट्स का आवंटन गाइड लाइन से लगभग 37% कम में, फ्री होल्ड पर लॉटरी पद्धति द्वारा
- तल मंजिल पर पर्याप्त दो पहियां वाहन पार्किंग
- भूमिगत व उच्चस्तरीय पानी की टंकी
- नर्मदा लाइन से जलप्रदाय की व्यवस्था
- प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चौकी
- कम्युनिटी हॉल की सुविधा
- परिसर कंपाउंड वॉल से सुरक्षित
- अग्निशमन के पूर्ण प्रबंध
- 6 लिफ्ट मय डी.जी.बैकअप के साथ
- परिसर में दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु दुकानें

भवन की निर्धारित कीमत ₹13.76 लाख

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 136, निरंजपुर में **153 आवासीय फ्लैट खरीदने** हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की प्राधिकरण भवन शाखा तथा आय.सी.आय. सी.आय. बैंक इन्दौर की मालव परिसर शाखा से (बैंक कार्यालयीन समय में) **₹590** (जी.एस.टी. सहित) जमा कर फार्म ले सकते हैं। प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किए फॉर्म के साथ ₹590 (जी.एस.टी. सहित) का बैंक ड्राफ्ट पृथक से संलग्न कर आवेदन प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। आवेदन प्रपत्र के साथ पंजीयन राशि का बैंक ड्राफ्ट आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।

आवेदन पत्र क्रय करने की तिथि	02.11.2020 से 23.11.2020 तक
आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	25.11.2020 सांय 4.00 बजे तक
लाटरी निकालने की तिथि	28.11.2020 प्रातः11.30 बजे

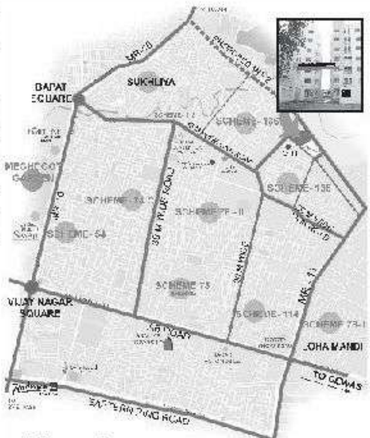

लोकेशन मेप

विज्ञप्ति क्रमांक : 183 दिनांक 23.10.2020 **RERA No.: P-IND-17-352 Date 07.09.2017**

ida
इन्दौर विकास प्राधिकरण

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

यशवन्त वर्मा (उपयंत्री) मो.: 98936–99153 | राजेश शर्मा (संपदा अधिकारी वर्ग 2) मो.: 98936–22211 | राजेश उपाध्याय (मार्केटिंग सेल) मो.: 98936 99113

अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.idaindore.org और ida app भी देखें।

Downloaded for idaindore.org

इन्दौर विकास प्राधिकरण
INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक – 183 **दिनांक – 23.10.2020**

योजना क्रमांक 136

में बहुमंजिला भवन "गुलमोहर काम्पलेक्स" के 1 बी.एच.के. आवासीय फ्लेटस् (प्रकोष्ठ) को नियत दर से पूर्ण–स्वामित्व अधिकार (Free-Hold) पर लॉटरी के माध्यम से व्ययन हेतु आवेदन प्रपत्र

–:: स्थल का फोटो ::–

"जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य है"

आवेदक के हस्ताक्षर ....

Downloaded for idaindore.org

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

नियत दर पर पूर्ण–स्वामित्व अधिकार *(Free-Hold)* पर लॉटरी के माध्यम से संपत्ति के व्ययन हेतु आवेदन प्रपत्र

विज्ञापन क्रमांक. 183 **दिनांक 23.10.2020**

आवेदन प्रपत्र मूल्य (जी.एस.टी सहित)**रूपये 590/–** **आवेदन प्रपत्र क्रमांक.........**
अहस्तान्तरणीय (Non Transferable) आरक्षण श्रेणी.............................

प्रति,

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण
इन्दौर (म.प्र.)

आवेदक का नाम ....

आवेदक का पासपोर्ट आकार का छाया चित्र यहां चिपकाया जाए

महोदय,

निवेदन है कि विज्ञापन क्रमांक..**183** दिनांक 23.10.2020 के अंतर्गत मेरे द्वारा चयनित इस प्रपत्र के बिन्दू क्र.17 के विकल्पों के तहत **नियत दर पर पूर्ण–स्वामित्व *(Free-Hold)* अधिकार पर** निर्मित प्रकोष्ठ (Flat) आवटित करने का कष्ट करें। अपेक्षित जानकारी निम्नानसार भर कर प्रस्तुत की जा रही है :

01.	आवेदक का नाम	:	1..
			2..
02.	पिता/पति का नाम	:	1..
			2..
03.	आवेदक की आयु	:	.......................वर्ष
04.	पूरा पता	:	....
			....
			पिनकोड..................................
05.	दूरभाष/मोबाईल नंबर/ई–मेल	:	(कार्यालय) ....(निवास) ....
			ई–मेल..
06.	कुल वार्षिक आय	:	रूपये ....
07.	यदि नियोजित हो, तो नियोजक का नाम (If Employed name of the employer)	:	....
08.	सेवा की अवधि (Duration of service)	:	....
09.	यदि निजी व्यवसाय में हैं,तो उसका ब्यौरा:		....
	दूरभाष/मोबाईल नंबर/ई–मेल	:	(कार्यालय) ....(निवास) ....
			ई–मेल..

आवेदक के हस्ताक्षर ....

Downloaded for idaindore.org

10. निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार शपथ–पत्र (Affidavit) संलग्न है : **हां / नहीं**

11. **(अ)** पंजीयन राशि का डी.डी. / बैंकर्स चेक, इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में : डी.डी. / बैंकर्स चेक क्रमांक.. दिनांक..................................राशि रूपये.............................. बैंक का नाम...

(ब) आवेदन प्रपत्र डाऊनलोड करने की दशा में रू.590 / –का डी.डी. / बकर्स चेक, इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में : डी.डी. / बैंकर्स चेक क्रमांक.. दिनांक.................................. बैंक का नाम...

12. मैं / हम आश्वासन देता हूं / देते हैं कि यदि मेरा / हमारा आवेदन प्रपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं / हम प्रकोष्ठ की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूंगा / देंगे।

13. मैं / हम आश्वासन देता / देत हैं कि मैं / हम शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय–समय पर, बनाये गये नियमों / विनियमों का पालन करुंगा / करेंगे।

14. मैंने / हमने प्राधिकरण के प्रकोष्ठ के आवंटन से संबंधित निबंधन, शर्तों तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे / हमें स्वोकार हैं।

15. मैंने / हमने मौके पर निर्मित संपत्ति का निरोक्षण कर लिया है, पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं / रहे हैं।

16. यदि आवेदन प्रपत्र के अंतर्गत दी गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे / हमारे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि को समपहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. निम्नांकित विकल्प क्रमांक 1 से 5 अनुसार लॉटरी के पाँचो चक्र (राउँड) में से किसी भी चक्र (राउँड) में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक मुझे मान्य होगा। अन्यथा विकल्प–6 अनुसार कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर मुझे स्वीकार होगा तथा मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।

(निम्न तालिका में आवेदक स्वयं चयनित प्रकाष्ठ क्रमांक का उल्लेख करें)

विकल्प क्रमांक	प्रकोष्ठ क्रमांक
1	
2	
3	
4	
5	
6	उक्त पाँचों चक्र (राउँड) के बाद षेष कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर मुझे स्वीकार होगा।

अनुलग्नक :
1. पंजीयन राशि का डी.डी. / बैंकर्स चेक
2. डाऊनलोडेड आवेदन प्रपत्र का डी.डी. / बैंकर्स चेक(यदि आवश्यक हो तो)
3. निबंधन तथा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति
4. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति
5. नोटरी प्रमाणीकृत शपथ–पत्र (Affidavit)
6. आरक्षण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
7. आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक के हस्ताक्षर ....

Downloaded for idaindore.org

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

नियत दर से पूर्ण–स्वामित्व *(Free-Hold)* अधिकार पर व्ययन के लिये निबन्धन तथा शर्तें

एक : सामान्य शर्तें (General Terms)

1. सम्पत्ति के आवटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्रपत्र विहित प्रारूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन में उल्लखित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. विज्ञापन के अधीन प्रकोष्ठों के क्रमांक का आवंटन **नियत दर से पूर्ण–स्वामित्व अधिकार** *(Free-Hold)* **पर लॉटरी प्रणाली द्वारा** सम्पन्न किया जाएगा। लॉटरी के पाँचों चक्र (राउँड) में से किसी भी चक्र (राउँड) में खुलने वाला कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक आवेदक को मान्य होगा। अन्यथा विकल्प–6 अनुसार कोई भी प्रकोष्ठ क्रमांक खुलने पर आवेदक को स्वीकार होगा तथा आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली जावेगी।
3. सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके/उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत इससे पूर्व नियत दर पर कोई प्रकोष्ठ की प्राप्ति नहीं की गई है।
4. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उस दशा में उसे इस संबंध में प्राधिकरण को लिखित में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
5. **(अ)** यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तारीख से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि आवेदक को लौटा दी जाएगी। निविदा प्रपत्र का शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

   (ब) यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विज्ञापन में उल्लेखित लॉटरी का आहरण किए जाने के उपरांत अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा पंजीयन राशि के रूप में जमा की गई राशि को समपहृत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. जहां किसी विशिष्ट श्रणी के लिए आरक्षित संपत्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्ति हेतु आवेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किय जाने पर नियमानुसार जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेनाअधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी

आवेदक के हस्ताक्षर ....

Downloaded for idaindore.org

दोः भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. (अ) सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कल अधिमूल्य (प्रीमियम) की पूर्ण राशि अथवा प्रथम प्रारंभिक प्रीमियम की 25 प्रतिशत (आवेदन पंजीयन राशि के समायोजन पश्चात शेष) राशि जमा करनी होगी।

   (ब) प्रारंभिक प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि आरक्षण पत्र में उल्लेखित दिनांक अनुसार जमा कराई जानी होगी।

   (स) उक्त प्रकोष्ठ की संधारण राशि गुलमोहर काम्पलेक्स के रहवासी संघ/संस्था को जमा कराना अनिवार्य होगी।

2. सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता को आवेदन की स्वीकृति के बाद आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर रूपये 1000/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध–पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।

3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि तथा अनुबन्ध–पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।

4. जहां सफल आवेदन प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर उपरोक्त भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध मे उक्त राशि जमा कराने बाबद समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो व्ययन नियम/व्ययन विनियम अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि में देय अधिमूल्य राशि पर 15 प्रतिशत विलंब ब्याज को राशि के साथ जमा करना होगी ।

5. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर आवेदन प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने मे असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा आवेदन पंजीयन राशि (अर्नेस्ट मनी)को समपहृत कर सकेगा।

6. (अ) प्राधिकरण की एसी संपत्ति जो पूर्णतः विकसित अथवा निर्मित हो, की प्रीमियम (अधिमूल्य) की शेष 75 प्रतिशत राशि की वसूली अधिकतम 02 वर्ष अर्थात् 08 त्रैमासिक किश्तों में 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर से की जावेगी।

   (ब) प्राधिकरण की ऐसी संपत्ति जो ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के भवन/भूखण्ड होकर पूर्णतः विकसित अथवा निर्मित हो, की प्रीमियम (अधिमूल्य) की 75 प्रतिशत राशि की वसूली अधिकतम 05 वर्ष अर्थात् 20 त्रैमासिक किश्तों में 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर से की जावेगी।

   (स) ऐसी संपत्ति जा विकसित अथवा निर्मित की जाने वाली हो, के अधिमूल्य के भुगतान की वसूली विकास या निर्माण के विभिन्न स्तरों के अनुसार किश्तों में की जा सकेगी। तथापि, पट्टा विलेख, जहां आवश्यक हो, पूर्ण अधिमूल्य प्रीमियम राशि प्राप्त हो जाने के बाद प्रभावी होगा।

   (द) उपराक्त उप खण्ड (अ), में किये गये उल्लेखानुसार, प्राधिकरण द्वारा किश्तों के भुगतान हेतु अधिकतम 02 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकेगी। ऐसी विस्तारित अवधि के संबंध में किश्त की शेष देय राशि पर ब्याज की दर 12.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की जाएगी।

7. आवंटन किये जाने के पश्चात् यदि प्राधिकरण संपत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा की गई रकम वापस की जाएगी।

8. (अ) जहां राशि का भुगतान किश्तों में किया जा रहा हो वहां विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार किश्तों का भुगतान आवंटिती द्वारा न किए जाने की दशा में अथवा व्ययन नियम/व्ययन विनियम के अनुसार विस्तारित अवधि की समाप्ति पर आवंटिती को आवंटन निरस्त किये जाने का नोटिस संपदा अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।

   (ब) तथापि, यदि आवंटिती प्राधिकरण के आवंटन निरस्त करने का नोटिस प्राप्त होने के एक माह में विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार समस्त लंबित किश्तें मय ब्याज

आवेदक के हस्ताक्षर ....

Downloaded for idaindore.org

एवं 10 प्रतिशत दांडिक ब्याज (संबंधित किश्त की देयता तिथि से) का भुगतान कर देता है, तो संपदा अधिकारी आवंटन निरस्त करने का अपना नोटिस वापस ले सकेगा।

परंतु आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उक्त राशि हेतु एक वर्ष की 4 किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी, किन्तु उक्त पर नियमानुसार 15 प्रतिशत विलंब ब्याज दय होगा ।

(स) तथपि, यदि उपरोक्त उपनियम (ब) के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम (अधिमूल्य) की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि समपहृत कर ली जाएगी तथा शेष मूलधन की राशि आवंटिती को लौटा दी जाएगी। आवंटिती को इस समपहृत की गई राशि पर ब्याज का दावा करने की पात्रता नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में जमा ब्याज अन्य इत्यादि की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

9. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

10. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढे हुवे क्षैत्रफल की प्रीमियम की रशि की गणना व्ययन नियम/व्ययन विनियम के अनुसार की जावेगी ।

11. आवंटिती/भू–स्वामी शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

तीन : संपत्ति को पूर्ण–स्वामित्व (Free-Hold) पर प्रदान करने संबंधी शर्तें

1. सम्पत्ति का आधिपत्य ''जैसा है, जहां है'' के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो)।

2. प्रीमियम (अधिमूल्य) की राशि के 50 प्रतिशत भुगतान के पश्चात् ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी वर्ग–2 द्वारा **संपत्ति** क वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी। ग्राही की अनुपस्थिति की दशा में संपत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया है, ऐसा माना जावेगा। परंतु आवंटी को **पूर्ण–स्वामित्व अधिकार विलेख** का निष्पादन पूर्ण अधिमूल्य की राशि की प्राप्ति के बाद ही किया जावेगा।

3. अधिमूल्य (पोमियम) की सम्पूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा **पूर्ण–स्वामित्व अधिकार विलेख** (Free Hold Document)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से विलेख का पंजीकरण कराना होगा। आवंटिती अभिलेख के पंजीकरण से संबंद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पजीकरण से तीस दिवस के भीतर उक्त विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।

4. पूर्ण स्वामित्वधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

5. जहां संपत्ति का अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन (natural devolution of hership)/वसीयत के अनुग्रह में चाहा गया हो तो वहां कोई अंतरण शुल्क देय नही होगा।

चार : आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन विनियम

1. आवटित की गई सम्पत्ति के अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

2. आवंटिती सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

3. (अ) कब्जा प्राप्ति के पश्चात् आवंटित संपत्ति के संधारण का उत्तरदायित्व आवंटिती का होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

Downloaded for idaindore.org

(ब) आवंटन के पश्चात् परिसर के संधारण, बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुधार की व्यवस्था आवंटिती स्वयं पंजीकृत संस्थाओं के द्वारा करेगा। इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर इसका उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।

4. पूर्ण स्वामित्वधारी/भू–स्वामी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

5. पूर्ण स्वामित्वधारी कर के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भू–स्वामी नगर पालिक निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।

6. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहीत उपयोग से पृथक होना पाया जाता है और/या कोई पूर्व निर्मित संरचना का उल्लंघन कर परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में, पूर्ण स्वामित्वधारी पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्ति का भुगतान भी करना होगा।

पांच : आवंटन का अन्तरण

मूल आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर इन्दौर विकास प्राधिकरण के इन नियमों के अधीन किये गये आवंटन का अंतरण ऐसे व्यक्ति को कर सकेगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति उसी श्रेणी का सदस्य होगा, जिसके लिए उक्त सम्पत्ति को आरक्षित किया गया था। उक्त आवंटन से अंतरण का शुल्क जो कि अधिमूल्य (पोमियम) राशि अथवा आवेदन करने की तिथि को प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन दर, इनमें से जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत होगा। ऐसे किसी भी अंतरण के संबंध में कोई भी अनुमति इसके आवंटन तारीख से छह माह की समाप्ति से पूर्व प्रदान नहीं की जाएगी ।

छह : अन्य निबन्धन तथा शर्तें

1. यदि आवेदन प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा से संबंधित निबन्धन तथा शर्तों में तथा ''मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम, 2018'' के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उदभूत होती है तो अन्तिम उल्लिखित उपबन्ध अभिभावी रहेंगे और आवंटिती पर बाध्यकारी होंगे।

2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का विशद्धोकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां व्ययन हेतु सम्पत्ति के प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये इन शर्तों के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्तें भी बाध्यकारी होंगी।

3. आवेदन प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

4. जहां कहीं शब्द **''प्राधिकरण (Authority)''** का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (Permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द '' **आवंटिती/पूर्ण स्वामित्वधारी** '' का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

सात : विशेष शर्तें

1. विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। आवेदन प्रस्तुतकर्ताओं को समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते ह कि प्राधिकरण द्वारा वेबसाईट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी आवेदन दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन आवेदन प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में है। यदि आवेदन प्रस्ततकर्ता

आवेदक के हस्ताक्षर ....

ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से आवेदन प्रस्तुतकर्ता को हुई किसो हानि के लिये उत्तरदायी न होगा। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के संबंध में पत्राचार ई–मेल आई.डी. पर सूचित किया जा सकेगा जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई है, यह माना जावेगा।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत – (जहां आवश्यक हो)

अ. मेरे परिवार की कुल प्रमाणित वार्षिक आय रू. *3.00* लाख से *6.00* लाख के मध्य है।

ब. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति मेरे द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गई है।

स. भारत में मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में कोई पक्का आवासीय भवन नहीं है।

दिनांक ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक के हस्ताक्षर ....

(षपथ–पत्र रू. 100/– मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ–पत्र (Affidavit)

प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों)(assets) के लिए विहित

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूं कि :

मेरा नाम	: ....
पिता/पति का नाम	: ....
पता	: ....
व्यवसाय	: ....
आयु	: ....
वार्षिक आय	: ....

2. यह कि आवेदन के अन्तर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नही गया है।
3. यह कि मैंने निबंधन एवं शर्ते जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित है, भली भांति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार ह।
4. यह कि आवेदन के अन्तर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. यह कि प्राधिकरण द्वारा मुझे नियत दर के अंतर्गत अथवा किसी योजना के अधीन, किसी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत, जिसके लिये यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई सम्पत्ति पूर्व में आबंटित नहीं की गई है।
6. यह कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत मैं निम्नानुसार घोषणा करता हू –
   अ. मेरे परिवार की समस्त रूप से कुल प्रमाणित वार्षिक आय रू. *3.00* लाख से *6.00* लाख के मध्य है।
   ब. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति मेरे द्वारा आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तुत की जा रही है।
   स. भारत में मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में कोई पक्का आवासीय भवन नहीं है।
7. यह कि यह शपथ–पत्र इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 136 के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला भवन ''.गुलमोहर काम्पलेक्स." में नियत दर से पूर्ण–स्वामित्व अधिकार *(Free-Hold)* पर लॉटरी प्रणाली द्वारा संपत्ति को इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के अध्यधीन रहते हुए क्रय हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक : शपथकर्ता

:: सत्यापन ::

मैं, ... पिता/पति श्री ....सत्यापित करता हूं/करती हूं, मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक ––––––––– को सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता

1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ–पत्र में शामिल न करें।
2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ–पत्र मान्य नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

योजना क्रमांक 136 में 153 (1-BHK) प्रकोष्ठों की सूची									प्रारूप – ''क ''
अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)		आरक्षित वर्ग	लीज–होल्ड / फ्री–होल्ड पर व्ययन	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य	दो वर्ष की संधारण राशी	अमानत राशी (अर्नेस्ट मनी)
			बिल्टअप	सुपर–बिल्टअप			(लाख रू.)	(लाख रू.)	(लाख रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A-502	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
2	A-506	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
3	A-513	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
4	A-517	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
5	A-518	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
6	A-519	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
7	A-523	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
8	A-524	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
9	A-525	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
10	A-529	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
11	A-532	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
12	A-534	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
13	A-602	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
14	A-605	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
15	A-609	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
16	A-610	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
17	A-614	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
18	A-624	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
19	A-628	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
20	A-629	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
21	B-508	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
22	B-512	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
23	B-513	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
24	B-603	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
25	B-604	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
26	B-605	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
27	B-606	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
28	B-609	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
29	B-610	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
30	B-614	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
31	B-615	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
32	A-626	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
33	B-611	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
34	A-211	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
35	A-308	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
36	A-405	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
37	A-438	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
38	B-114	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
39	B-309	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
40	B-503	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
41	A-319	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
42	A-426	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
43	A-533	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
44	B-110	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
45	B-520	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
46	A-103	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40

अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)		आरक्षित वर्ग	लीज–होल्ड /फ्री–होल्ड पर व्ययन	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य	दो वर्ष की संधारण राशी	अमानत राशी (अर्नेस्ट मनी)
			बिल्टअप	सुपर–बिल्टअप			(लाख रू.)	(लाख रू.)	(लाख रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	A-104	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
48	A-105	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
49	A-109	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
50	A-113	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
51	A-114	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
52	A-117	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
53	A-118	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
54	A-119	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
55	A-220	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
56	A-225	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
57	A-230	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
58	A-414	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
59	A-419	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
60	A-603	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
61	A-608	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
62	A-613	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
63	B-218	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
64	B-303	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
65	B-308	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
66	B-608	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
67	B-613	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
68	A-404	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
69	A-429	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
70	A-511	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
71	A-531	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
72	A-618	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
73	B-418	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
74	A-216	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
75	A-309	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
76	A-432	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
77	A-501	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
78	A-507	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
79	A-528	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
80	A-615	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
81	B-310	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
82	B-504	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
83	A-208	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
84	A-310	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
85	A-315	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
86	A-402	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
87	A-407	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
88	A-412	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
89	A-417	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
90	A-437	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
91	A-504	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
92	A-509	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
93	A-514	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40

अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)		आरक्षित वर्ग	लीज–होल्ड /फ्री–होल्ड पर व्ययन	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य (लाख रू.)	दो वर्ष की संधारण राशी (लाख रू.)	अमानत राशी (अर्नेस्ट मनी) (लाख रू.)
			बिल्टअप	सुपर–बिल्टअप					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	A-601	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
95	A-606	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
96	A-611	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
97	A-616	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
98	B-306	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
99	B-311	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
100	B-506	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
101	B-511	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
102	B-516	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
103	B-316	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
104	A-107	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
105	A-112	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
106	A-122	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
107	A-127	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
108	A-137	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
109	A-204	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
110	A-209	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
111	A-214	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
112	A-224	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
113	A-229	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
114	A-301	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
115	A-306	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
116	A-311	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
117	A-316	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
118	A-326	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
119	A-331	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
120	A-403	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
121	A-408	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
122	A-413	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
123	A-418	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
124	A-428	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
125	A-433	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
126	A-505	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
127	A-510	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
128	A-515	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
129	A-520	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
130	A-530	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
131	A-535	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
132	A-607	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
133	A-612	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
134	A-617	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
135	A-622	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
136	B-102	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
137	B-107	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
138	B-117	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
139	B-202	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
140	B-207	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40

अ. क्र.	प्रकोष्ठ क्रमांक	उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.)		आरक्षित वर्ग	लीज–होल्ड /फ्री–होल्ड पर व्ययन	प्रकोष्ठ का नियत मूल्य	दो वर्ष की संधारण राशी	अमानत राशी (अर्नेस्ट मनी)
			बिल्टअप	सुपर–बिल्टअप			(लाख रू.)	(लाख रू.)	(लाख रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	B-212	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
142	B-302	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
143	B-307	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
144	B-317	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
145	B-402	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
146	B-407	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
147	B-412	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
148	B-502	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
149	B-507	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
150	B-602	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
151	B-607	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
152	B-612	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40
153	B-517	आवासीय	45.68	61.57	सामान्य	फ्री–होल्ड	13.76	0.38	1.40